<u>2021 का विधेयक सं. 12</u>

राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (सुकरकरण और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया जायेगा)

राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (सुकरकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 को संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (सुकरकरण और विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2021 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 2010 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 में नयी धारा 27-क का अंत:स्थापन.- राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (सुकरकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम सं. 9) की विद्यमान धारा 27 के पश्चात् और विद्यमान धारा 28 से पूर्व, निम्नलिखित नयी धारा अंत:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"**27-क. अपराधों का संज्ञेय होना.-** इस अधिनियम के अधीन दंडनीय समस्त अपराध संज्ञेय और जमानतीय होंगे:

परन्तु इस अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (3) और उप-धारा (4) के अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होंगे।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 18 जनवरी, 2017 को एकल पीठ दाण्डिक विविध याचिका सं. 2246/2016 में अपने निर्णय में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट को इस आधार पर अभिखंडित कर दिया कि राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (सुकरकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम सं. 9) की धारा 13 की उप-धारा (1) और (2) के अधीन दंडनीय अपराध अधिनियम में विनिर्दिष्टत: संज्ञेय रूप में उपबंधित नहीं किये गये हैं।

इसलिए, उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों को संज्ञेय और जमानतीय/अजमानतीय बनाने के लिए राज्य सरकार ने अधिनियम को संशोधित करने का विनिश्चय किया है। तदनुसार, अधिनियम की विद्यमान धारा 27 और 28 के बीच एक नयी धारा 27-क को अन्त:स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

अशोक गहलोत,

प्रभारी मंत्री।

Bill No. 12 of 2021

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN TOURISM TRADE (FACILITATION AND REGULATION) (AMENDMENT) BILL, 2021

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

to amend the Rajasthan Tourism Trade (Facilitation and Regulation) Act, 2010.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-second Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Tourism Trade (Facilitation and Regulation) (Amendment) Act, 2021.

(2) It shall come into force at once.

2. Insertion of new section 27-A, Rajasthan Act No. 9 of 2010.- After the existing section 27 and before the existing section 28 of the Rajasthan Tourism Trade (Facilitation and Regulation) Act, 2010 (Act No. 9 of 2010), the following new section shall be inserted, namely:-

> "**27-A. Offences to be cognizable.-** All the offences punishable under this Act shall be cognizable and bailable:
>
> Provided that the offences punishable under sub-section (3) and sub-section (4) of section 13 of this Act shall be cognizable and non-bailable.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Hon'ble High Court, in its decision dated 18th January, 2017 in Single Bench Criminal Miscellaneous Writ Petition No. 2246/2016 quashed an FIR on the ground that offences punishable under sub-sections (1) and (2) of section 13 of the Rajasthan Tourism Trade (Facilitation and Regulation) Act, 2010 (Act No. 9 of 2010) are not specifically provided in the Act as cognizable.

Therefore, in order to make the offences under the Act cognizable and bailable/non-bailable the State Government has decided to amend the Act. Accordingly, a new section 27-A is proposed to be inserted between the existing sections 27 and 28 of the Act.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objective.

Hence the Bill.

अशोक गहलोत,

Minister Incharge.

2021 का विधेयक सं. 12

राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (सुकरकरण और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (सुकरकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 को संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

प्रमिल कुमार माथुर,
सचिव।

(अशोक गहलोत, **प्रभारी मंत्री**)

Bill No. 12 of 2021

THE RAJASTHAN TOURISM TRADE (FACILITATION AND REGULATION) (AMENDMENT) BILL, 2021

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

to amend the Rajasthan Tourism Trade (Facilitation and Regulation) Act, 2010.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

Pramil Kumar Mathur,
Secretary.

(Ashok Gehlot, **Minister-Incharge**)